



No. 001856


संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या... 118...

वर्ष 2006-2007

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि महाविद्यालय औद्योगिक संस्थान



सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।
आज तारीख इकतीस मास मई वर्ष दो हजार एक को राँची में मेरे हस्ताक्षर के
साथ दिया गया ।

गोबर्नमेन्ट प्रेस, राँची ।

आज्ञाते महाविरोक्षक, निबन्धन, शारखण्ड, राँची ।

9.5.06

पत्रांक.....JS-101/06 — 602


दाखिल करने का प्रमाण-पत्र
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय
झारखण्ड, राँची।

नरसिंहकुल शैक्षणिक संस्थान

दिनांक.....31.5.06

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नलिखित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/ किये गये हैं।

निबंधन शुल्क 50/- रुपया मात्र।


वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,


सचिव,

नरसिंहकुल शैक्षणिक सेवा संस्थान

सनातन विद्या निकेतन, स्टेशन रोड
पो. + 2 आगा - 261101, जिला-पलामू

उनके पत्रांक..... दिनांक..... के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।


वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक JS'-101/06 - 1556

झारखण्ड सरकार

निबंधन विभाग।

प्रेषक,

मो. युसूफ,

सहायक निबंधन महानिरीक्षक।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव

कृषि कूल शैक्षणिक संस्थान
संगठन विद्या निकेतन, रूरान रोड
जिला - जामुना


रांची, दिनांक- 7-8-06

विषय : संस्था के स्मृति-पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में।

महाशय,

आपके पत्र के आलोक में संस्था का स्मृति-पत्र एवं नियमावली की प्राप्ति इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(मो. युसूफ)

सहायक निबंधन महानिरीक्षक,

झारखण्ड, रांची।

ऋषिकुल शैक्षणिक संस्थान का स्मृति पत्र






1. संस्थान का नाम :- ऋषिकुल शैक्षणिक संस्थान
2. संस्था का निबंधित कार्यालय :- सनातन विद्या निकेतन, स्टेशन रोड,
पोस्ट/थाना-रेहला, जिला-पलामू,
झारखण्ड -822124.
3. कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश
4. संस्था का लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

(क) सम्पूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के बीच राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने हेतु विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय, छात्रावास, खेल-कूद, तथा संस्कार केन्द्र चलाना, औपचारिक शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा एवं आर्थिक विकास बढ़ाने एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु "चकीय विकास प्रणाली" को गांव/शहर के स्थाई विकास के रूप में लागू करना सामाजीक वानिकी, कुटीर उद्योग, हस्तकला आदि को प्रोत्साहित करना ।

(ख) युवाओं में वैदिक मूल्यों के विकास, सभी धर्मों के प्रति आदर, कीड़ा, स्पर्धा, ग्रामीण खेलों, परम्परागत व्यायाम, हस्तकला कुटीर उद्योग ऐसे विषयों का आयोजन/ केन्द्रों की स्थापना करना व उनको शिक्षा देना । प्रकृतिक आसक्ति, महामारी, साम्प्रदायीक हिंसा या इस तरह के अन्य घटनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करना । नागरिकों को शिक्षित करने के लिये कला, सभ्यता, विज्ञान, योग/ ध्यान केन्द्र एवं आध्यात्म की शिक्षा के लिए केन्द्रों की स्थापना करना ।

(ग) नागरिकों में अहं भावना, विश्वास, आत्म निर्भरता व आत्म सम्मान, राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा की भावना का विकास करने हेतु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्वों को सामुहिक रूप से मनाना । सामान्य बैठक, वाद-विवाद, भाषण, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम, संत-प्रवचन/ साहित्य, पददर्शनी, ध्वनी और दूर भाष्यमों के द्वारा जन कल्याणार्थ इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।








1.	श्री शोण अद पाण्डेय, पिता-सर्व. पंडित राधा गोविन्द पाण्डेय ।	ग्राम/डाकघर/शाना-रेंका राज, जिला-गढ़वा, झारखण्ड । अपना मकान, दूरभाष-254672.	73	एम. कॉम, कोलकाता विश्व विद्यालय ।	श्या जियुत महाप्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, रामान सेवक ।	 Sanyal
2.	श्री स्वरूप चन्द जैन, पिता-सर्व. राधा कृष्ण जैन ।	ईजीनियरिंग रोड, मेटलिनगर, जिला-पलामु, झारखण्ड । अपना मकान, दूरभाष-222022.	63	बी. कॉम, रामान सेवी	 Ravindra	 Sanyal
3.	डा. सुदामा चौबे, पिता-सर्व. राम जलित चौबे ।	हेसल, स्टेट बैंक स्टॉफ कॉलोनी, पिसका मोड, राय, राँची, झारखण्ड-834005 अपना मकान, दूरभाष-2510256.				 Sanyal

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

क) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 7 (सাত) सदस्य होंगे,



4.	डा. परमा नन्द तिवारी, पिता-सर्व, गणेश तिवारी।	मकान संख्या-17/202, ईशवरी एनवलेव, लोवर विद्यापती नगर, कांके रोड, राँची, झारखण्ड-834008. अपना मकान, दूरभाष-2232994.	53	एम.बी.बी.एम, डी.ए.	डाक्टर, सेन्ट्रल, कोल फील्ड लिमिटेड, नई सारय रुग्णालय, रामगढ़, हजारीबाग, झारखण्ड।	 Prakash
5.	श्री विजय नारायण पाण्डेय, पिता-श्री अर्शफ़ी पाण्डेय।	मकान संख्या-803, वसुंधरा गोर्देन, हरिहर सिंह रोड, वारीयातु, राँची, झारखण्ड-834008. किराया का मकान, दूरभाष-9431109831.	47	यंत्रिकी अभियंता	अभियंता, उप महाप्रबंधक नेशनल धर्मल पावर लिमिटेड, राँची।	 विजय नारायण पाण्डेय
6.	श्री ब्रजेश कुमार दूवे पिता-श्री जनार्दन दूवे।	मकान संख्या-27/625, शिवपुरी, हिनू, राँची, झारखण्ड-834002. अपना मकान, दूरभाष-2500889.	44	इंजिनियर मेडीएट ऑफिस ऑर्टस	व्यवसाय	 ब्रजेश कुमार दूवे
7.	श्री विजय कुमार पाण्डेय, पिता-श्री अर्शफ़ी पाण्डेय।	मकान संख्या-802, वसुंधरा गोर्देन, हरिहर सिंह रोड, वारीयातु, राँची, झारखण्ड-834008. किराया का मकान	42	एम. ए.	अध्यापक, संत जेवियर्स महाविद्यालय राँची।	 विजय कुमार



प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो उपर चिपका/ अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है




प्र. ह. सचिव, बिहार सरकार, राजधानी, कोलकाता, भारत

27/11/2019

27/11/2019

KISTO PRABO
* Most Public Use
* Photo Copy
* Attached

नॉटरीयल सैलॉनिक प्रमाण के कार्यकारी समिति के सदस्यों का विवरण :-
 निम्नलिखित व्यक्ति निम्नका पूरा नाम, पिता का नाम, पूरा पता, उम्र, सैलॉनिक योग्यता, पेशा, पदनाम लगाकर पूरा कार्यालय अकार का पते पर भेजना है।
 संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार ये संस्था के कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।





क्रम संख्या	पूरा नाम, पिता का पूरा नाम ।	उम्र	सैलॉनिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	कोले
1.	श्री शोण भद्र पाण्डेय, चित्त-स्व. मुंडित राधा गोविन्द पाण्डेय ।	73	एम. कॉम, कोलकाता विश्व विद्यालय ।	सेवा निवृत्त महाप्रबंधक पंजाब वेशनल बैंक, समान सेवक ।	अध्यक्ष	
2.	श्री स्वच्छंद चन्द जैन, चित्त-स्व. राधा कृष्ण जैन ।	61	बी. कॉम, इन्जीनियरिंग सेवा निवृत्त मेदिनीनगर, झारखण्ड ।	समान सेवी	उपाध्यक्ष	
3.	डा. सुदामा चौबे, चित्त-स्व. राम जयित देवे ।	61	एम. ए., पी. एच. डी., एल. एल. बी.	अध्यापक, पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, संत जेवियर्स महाविद्यालय, राँची ।	सचिव	




Handwritten signature and text in the bottom left corner.

Handwritten signature and text in the bottom middle.

Handwritten signature and text in the bottom right corner.

क्र. सं.	पूरा नाम, पिता का नाम।	मकान का पूरा पता, मुहल्ला, होलिडिंग संख्या, गली/रोड संख्या, थाना, शहर/गांव/छाकघर, जिला मकान अपना/ किराये का है, दूरभाष अंकित करें।	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	फोटो
1.	डा. परमा नन्द तिवारी, पिता-स्व. गणेश तिवारी।	मकान संख्या-ए/202, ईश्वरी एनक्लेव, लोवर विद्यापती नगर, कांके रोड, सैफी, झारखण्ड-834008. अपना मकान, दूरभाष-2232994.	53	एम.बी.बी.एस, डी.ए.	डाक्टर, सेन्ट्रल, कोल फील्ड लिमिटेड, नई सराय रत्नापालय, रामगढ़, हजारीबाग, झारखण्ड।	कोषाध्यक्ष	 Dr. Parmanand Tiwari
3.	श्री विजय नारायण पाण्डेय, पिता-श्री अशफ़ी पाण्डेय।	मकान संख्या-803, वटुशरा गौडेल, हरिहर सिंह रोड, बारीयातु, सैफी, झारखण्ड-834008. किराया का मकान, दूरभाष-9431109831।	47	यंत्रिकी अभियंता	अभियंता, उप महाप्रबंधक जेशनल थर्मल पॉवर लिमिटेड, सैफी।	सदस्य	 Shri Vijay Narayan Pandey
3.	श्री ब्रजेश कुमार दूबे पिता-श्री जनार्दन दूबे।	मकान संख्या-2, शिवपुरी, दिव, झारखण्ड-834002. अपना मकान, दूरभाष-950083092।	44	इंटर मीडिएट ऑफ आर्ट्स	व्यवसाय	सदस्य	 Shri Brajesh Kumar Dubey
3.	श्री विनय कुमार पाण्डेय, पिता-श्री अशफ़ी पाण्डेय।	मकान संख्या-802, वटुशरा गौडेल, हरिहर सिंह रोड, बारीयातु, सैफी, झारखण्ड-834008. किराया का मकान।			अध्यापक, संत जेवियर्स महाविद्यालय सैफी।	सदस्य	 Shri Vinay Kumar Pandey



नमनिष्ठ किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिसका फोटो ऊपर दिएका/ अंकित है, वे मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।





1. परिभाषा :-

- क) संस्था से अभिप्राय है :- "अधिकांकुल शैक्षणिक संस्थान"
 ख) समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति
 ग) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है :- पहली अप्रेल से 31 मार्च तक
 घ) आमसभा से अभिप्राय है :- संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा
 ङ) पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष
 च) अधिनियम से अभिप्राय है :- संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. संस्था की सदस्यता की शर्तें :-

- क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, भारत को अपनी मातृभूमि, पूण्य भूमि मानता हो, देश के प्रति अनन्य श्रद्धा रखता हो ।
 ख) सदस्य बनाने का अधिकार समिति को होगा ।

3. संस्था की सदस्यता की समाप्ति :-

- क) संस्था से त्याग पत्र देने पर
 ख) दिवालीया होने पर
 ग) मानसिक रुप से बिभ्रित होने पर ।
 घ) मृत्यु होने पर
 ङ) सामाजिक अपराध सिद्ध होने पर ।
 च) बिना सूचना दिये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
 छ) संस्था के उद्देश्यों एवं हितों के विपरीत कार्य करने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 7(सात) सदस्य होंगे, आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाकर अधिकतम 21(इक्कीस) तक किया जा सकता है, इनका कार्यकाल 3(तीन) वर्षों का होगा ।
 ख) संस्था के पदाधिकारियों में अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1 एवं कार्यकारिणी समिति के 3 सदस्य होंगे ।
 ग) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा तथा निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकेंगे ।

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार:-

- क) संस्था की चल या अचल समपति के उत्तरदायी होंगे ।
 ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन करना एवं पस्ताव पारित करना ।
 ग) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
 घ) उप-शाखा का निर्माण करना ।

6. पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार :-

क) अध्यक्ष :-

- अ) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना ।
- आ) सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ संस्था के बैंक खाता का संचालन करना ।

ख) उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य करना ।

ग) सचिव :-

- अ) अध्यक्ष के निर्देशानुसार साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन करना ।
- आ) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से समिति के बैंक खातों का संचालन करना ।
- इ) समिति की गतिविधियों का संचालन करना ।
- ई) अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना ।
- उ) स्थायी संपत्ति की व्यवस्था करना ।

घ) कोषाध्यक्ष :-

- अ) अध्यक्ष एवं सचिव के साथ संयुक्त रूप से समिति के बैंक खातों का संचालन करना
- आ) संस्था के कोष को सुरक्षित रखना, उसका विनिमय करना, हिसाब रखना, उनका अंकेक्षण करना एवं अंकेक्षित हिसाब को कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।
- इ) वार्षिक बजट बनाकर पारित कराना ।

7. आमसभा का कार्य एवं अधिकार :-

- अ) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन ।
- आ) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।
- इ) संस्था की लेखा के अंकेक्षण की नियुक्ति करना ।
- ई) संस्था के स्मृतिपत्र एवं नियमवाली में संशोधन लाना ।
- उ) संस्था के विधटन पर निर्णय लेना ।

8. आमसभा की बैठकें :-

क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित माँग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा की वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर

ग) कोरम :-

आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50%+1) ।

घ) बैठक की सूचना :-

अ) आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी ।

आ) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी ।

9. कार्यकारिणी समिति की बैठकें :-

अ) वर्ष में कम से कम दो बार कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की जायेगी ।

आ) साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य होगी ।

10. आय का स्रोत :-

अ) जनसहयोग, दान, गैर सरकारी, निजी संस्थानों से सहयोग ।

आ) सरकारी अनुदान एवं ऋण की प्राप्ति ।

11. कोष की व्यवस्था/ बैंक खाते का संचालन :-

संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जायेगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष या सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा की जायेगी ।

12. अंकेक्षण :-

अ) संस्था की लेखों का संधारण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण करवाया जायेगा ।

आ) निबंधन महाविशेषज्ञ, झारखण्ड, राँची की भी चाहे संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चाहे अंकेक्षक से करा सकता है, जिसका शुल्क संस्था की लेखा द्वारा वहन किया जायेगा ।

13. संशोधन :-

संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

14. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजीयाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी उनका निरीक्षण कर सकता है ।

संस्था की सभी पंजीयों संस्था के निबधित कानूनन में संस्था के सचिव के निम्न रहेगी (14)
जहाँ कोई भी उनका निरीक्षण कर सकता है ।

15. कानूनी कारवाई :-

संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कारवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी ।

16. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

अ) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा । आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी ।

आ) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या बाह्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निर्बाधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जायेगी ।

इ) संस्था के विघटन के समय संस्था निर्बाधित अधिनियम 21, 1860 धारा-13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि "सर्विकुल शैक्षणिक संस्थान" नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है ।



Singh
श्रीमन्मद पाण्डेय
अध्यक्ष

सुदामा चौधरी
सचिव

Prasanna
परमा नन्द तिवारी
कोषाध्यक्ष


आलेख संस्था ... 11.8.2006-07
संस्था का नाम ...
यसमय, नियमावली एवं आमसभा की प्रति
3.5.2006
कॉ. नि. प्रहारा
15/06

वह सचिव ...
हस्ता, निबंधन महान मोक्षक, झारखण्ड

REHALA PALAMAU

DETAILS OF MEMBERS OF RISHIKUL SHAIKSHANIK SANSTHAN

Sl. No.	Name	Designation	Occupation	Address	Educational Qualifications	Remarks
1	Dr. Rajeshwar Pandey	President	Retired Principal, Higher Secondary School	At & PO :- Rehala , Palamau – 822124	M.A, Ph. D.	
2	Dr. P. N. Tiwari	Vice President	Chief Medical Superintendent (Retd.) Coal India Ltd.	Flat No.202-A, Eshwari Enclave, Lower Vidyapati Nagar, Kanke Road, Ranchi – 834008	MBBS, MD	
3	Sh. Bishwanath Narayan	Treasurer	Retired Bank Officer	Gurukripa, Netaji Subhash Colony, Bajra, Itki Road, Ranchi – 834005	M.A, L. L. B	
4	Sh. Udai Narayan Pandey	Secretary	Govt. Service,	HI – 232, Harmu Housing Colony, Ranchi – 834001	M.Sc., L.L.B	
5	Sh. Ram Rekha Pandey	Member	Retired Government Servant	Village- Goderma, PO -Rehala , Palamau - 822124	L.A	
6	Sh. V. N. Pandey	Member	Former Chairman, Jharkhand State Electricity Board	Flat No. 803 A, Vasundhara Gardens, Harihar Singh Road, Bariatu, Ranchi – 834009.	B. Sc (Engineering)	
7	Prof. V. K. Pandey	Member	Department of Economics, St. Xavier's College, Ranchi	Flat No. 802 A, Vadundhara Gardens, Harihar Singh Road, Bariatu, Ranchi – 834009.	M.A	


 Uday Narayan Pandey
 Secretary
 Rishikul Shaikshanik Sansthan

रिजर्व बैंक
भारत सरकार



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



RISHKUL SHARMA
SHARMA

PROVIDENT

Provident Account Number

AAETRD812L

In case this card is lost / found, kindly inform / return to
Income Tax PAN Services Unit, UTITSI,
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

इस कार्ड को खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटाएं।
आयकर पैन सेवा यूनिट, यूटीआई,
प्लॉट नं: 3, सेक्टर 11, सीडी बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन. रोड, राँची

सं०सं० तकनीकी/VIII-35/12A/2008-09/

राँची, दिनांक 15/03/09

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए/एए के तहत आदेश

Rishikul Shaikshani Sansthan, Lehla, Palamu

ने आयकर अधिनियम 1961 की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 04.09.2008 को अपने संविधान दिनांक 05.05.2008 की प्रतिलिपि के साथ दिया है। उक्त आवेदन निर्धारित समय के अन्दर दिया गया है। अतः इस संस्था का पंजीकरण धारा 12ए(2) के तहत निर्धारित वर्ष 2009-10 से प्रभावी होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा 12ए/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन की तकनीकी VIII-35/12A/2008-09 संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है।

[एस. के. सेन]

आयकर आयुक्त, राँची।

प्रपत्र सं०सं० तकनीकी/VIII-35/12A/2008-09/

राँची, दिनांक 25/03/09

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

उपस्थित संस्था

अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र- 7 राँची।

उप/सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल- 3 राँची।

Day: 27/03/09

प्रि. एस. राय]

आयकर आयुक्त, राँची

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन रोड, राँची

सं०सं०: आ०आ०/राँची/तकनीकी/2009-10 2010-11

राँची, दिनांक 21-04-10

आ दे श
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (छ) (vi)

वैयक्तिक शैक्षणिक संस्था, हैदराबाद,

पता: साइबरपुड - 822124

ने आयकर अधिनियम, 1961 की उपर्युक्त धारा के तहत राहत हेतु अपना आवेदन प्रपत्र में दिनांक 27-11-09 को इस कार्यालय में दिया है। यह आवेदन स्वीकार योग्य पाया गया है। अतः इस संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(छ)(vi) के अन्तर्गत कर राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति सम्बन्धित शर्तों और सीमाओं के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए मान्य होगी।



हो
(आर० के०राय)
आयकर आयुक्त, राँची

ज्ञापन संख्या : आ०आ०/राँची/तक०/VIII-51/80(छ)(vi)/2010-11/38-40
राँची, दिनांक 21-04-10

सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-2, राँची।
2. आयकर उपायुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त, अंचल-2, राँची।
3. सम्बन्धित संस्था।

(काजी कौशिक)

सहायक आयकर आयुक्त (तकनीकी)
कृते: आयकर आयुक्त, राँची।